संख्या-30/2023/482741/60-1099/127/2023

प्रेषक,

सुनील कुमार यादव,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
महिला कल्याण,
उ0प्र0, लखनऊ।

महिला कल्याण अनुभाग-1 **लखनऊ::दिनांक:: 26 जून, 2023**

विषय:- सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों की स्थानान्तरण नीति के संबंध में।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक मुख्य सचिव, कार्मिक अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या-5/2023/262-सामान्य/47-का-4-2023-(1/3/96), दिनांक 07.06.2023 (प्रति संलग्न) का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा स्थानान्तरण सत्र 2023-24 हेतु स्थानान्तरण नीति वर्ष 2023-24 में विहित प्राविधानानुसार 30 जून, 2023 तक स्थानान्तरण किये जाने की व्यवस्था है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया स्थानान्तरण नीति वर्ष 2023-24 के आलोक में आवश्यक अग्रेतर कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(सुनील कुमार यादव)
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।